

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(9)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक: 16.08.2019

—: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2019-20 के बिन्दु संख्या 240.00.00 "राजकीय कन्या महाविद्यालय, खण्डेला को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा" एवं बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 240.01.00 "राजकीय कन्या महाविद्यालय, वाडमेर को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा" की क्रियान्विति हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-


1 राजकीय कन्या महाविद्यालय, वाडमेर एवं होद (खण्डेला) को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु निम्नानुसार 4 नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	विभागीय बजट मद	पदनाम	पदों की संख्या	विषय विभाग स्नातकोत्तर कक्षाय खोली जानी है
1	वाडमेर	2202-03-103-(03)-[00]-01	व्याख्याता	2	राजनीति विज्ञान
2	होद (खण्डेला)	2202-03-103-(03)-[00]-01	व्याख्याता	2	भूगोल
			कुल योग	4	

- राजकीय कन्या महाविद्यालय होद (खण्डेला) एवं वाडमेर में प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक के पदों को स्नातक से स्नातकोत्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त महाविद्यालयों के क्रमोन्नत करने के फलस्वरूप आवर्तक/अनावर्तक व्यय हेतु कुल राशि रुपये 90.80 लाख का अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान राशि रुपये 90.80 लाख में पूंजीगत मद में 2 कक्षा कक्ष एवं 1 प्रयोगशाला कक्ष के लिए राशि रुपये 60.00 लाख भी सम्मिलित है। आयुक्तालय को 2 कक्षा कक्ष एवं 1 प्रयोगशाला निर्माण के संबंध में महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं उपलब्ध कक्षा कक्ष को दृष्टिगत रखते हुए इस हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- आवर्तक/अनावर्तक व्यय हेतु प्रस्तावित शेष राशि के संबंध में उक्तानुसार नवीन पदों के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयुक्तालय के बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक राशि का आंकलन कर प्रस्ताव वीएफसी वर्ष 2020-21 एवं संशोधित अनुमान 2019-20 के यथा समय वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।


यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 131900198 दिनांक 14.08.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रामस्वरूप चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20/101/09/आयो/आकाशि/2019-20 मय नोटशीट के।
- संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
- सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
- वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
- रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20 (101/05)/आयो/आकाशि/19-20/ 769

दिनांक: 16 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 9 कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, भेज कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन विषयो का सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
- 10 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 12 संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृत पदो को भरने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
- 13 संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयो में प्रवेश संबंधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
- 14 प्राचार्य, संबधित राजकीय महिला महाविद्यालय, बाडमेर एवं होद (खण्डेला) सीकर।
- 15 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा विभाग राज.

जयपुर